कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक, उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय पता :– 85–राजपुर रोड़, वन भवन, तृतीय तल, देहरादून☎ 0135–2740391 ईमेल–ccfhrd-forest-uk@nic.in

वनादेश संख्या 34 /1–12(6) देहरादून दिनांक, 05 अक्टूबर, 2021.

पदोन्नति आदेश

इस कार्यालय की पत्र संख्या 178/1–12(6) दिनांक 28.07.2021 द्वारा वन दरोगा से उप वन क्षेत्राधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु चयन समिति का गठन किया गया। पदोन्नति समिति की दिनांक 27.10.2020 को आयोजित बैठक में चयन समिति द्वारा क्रम संख्या 03 पर अंकित श्री शरणपाल सिंह कुवंर, वन दरोगा, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जांच लम्बित होने के फलस्वरुप उनकी पदोन्नति पर निर्णय लिफाफे में बन्द किया गया था। सीइल्ड बन्द लिफाफे में रखे गये निर्णय पर दिनांक 23.08.2021 को विचार करते हुए पदोन्नति की कार्यवाही का निर्णय पुनः सील्ड बन्द लिफाफे में रखा गया।

निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा वनादेश सं0 01/1–15 दिनांक 27.09.2021 से श्री शरणपाल सिंह कुवंर, वन दरोगा, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही पर निर्णय इस कार्यालय को प्रेषित किया गया। श्री शरणपाल सिंह कुवंर, वन दरोगा का सील्ड बन्द लिफाफा इस प्रयोजन हेतु गठित समिति के समक्ष खोला गया तथा लिफाफे के अन्दर रक्षित चयन समिति के निर्णय अनुसार उनकी **वन दरोगा वेतनमान वेतन मैट्रिक्स लेवल–5 रू0 29200–92300 से उप वन क्षेत्राधिकारी के वेतन मैट्रिक्स लेवल–6 रू0 35,400–1,12,400** में कॉलम संख्या–05 के अनुसार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति की जाती है :–

क्र0 सं0	दि0 01.07.2021 के आधार पर निर्गत अन्तिम ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	वन दरोगा का नाम	वर्तमान कार्यालय जिसमें कार्यरत है	पदोन्नति के उपरान्त तैनाती का प्रभाग
1	2	3	4	5
1	03	श्री शरणपाल सिंह कुंवर	निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, उत्तराखण्ड, देहरादून।	प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता।

उपरोक्त कार्मिक पदोन्नति के पद पर नवीन तैनाती स्थान पर 10 दिन के अंदर योगदान देना सुनिश्चित करें। पदोन्नत कार्मिक द्वारा यदि पदोन्नति का परित्याग किया जाता है तो कार्मिक के विरुद्ध उत्तराखण्ड राज्यधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forgo) नियमावली, 2020 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी। निर्धारित समयावधि में योगदान नहीं देने की दशा में यह समझा जाएगा कि कार्मिक द्वारा पदोन्नति का परित्याग किया है। पदोन्नति के उपरांत नवीन तैनाती स्थान को बदलने के लिए किसी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त कार्मिक की पदोन्नति पर योगदान अथवा पदोन्नति स्वीकार न करने सम्बन्धी सूचना इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाए।

5-10-21

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक,
मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक
प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक 681 (1) / 1–12(6) तद्दिनांकित्।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
4. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक / वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि श्री शरणपाल सिंह कुंवर, वन दरोगा के पदोन्नति पर नवीन तैनाती स्थान हेतु तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता।
7. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. श्री शरणपाल सिंह कुंवर, वन दरोगा द्वारा निदेशक / वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. अधिष्ठान / गार्ड बुक।
10. आई0टी0 प्रकोष्ठ, मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण मूल्यांकन एवं ऑडिट, देहरादून को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

5.10.21

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक,
मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक
प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।

I.T.C.C